

संभावित लागत (कोटेशन) विज्ञप्ति

निदेशालय के पत्र क्रमांक निदे/अनिरखा/पर्या/डीएसआर/2019/799-807 दिनांक 6.2022 से जिला अजमेर की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) तैयार कराई जानी है, जिस हेतु लटेन्ट को कार्य दिया जाना है। इस हेतु सम्बन्धित NABET/NABL से मान्यता प्राप्त पर्यावरण लटेन्ट से फर्म के लैटर पर दिनांक 29.07.2022 को सायं 3:00 बजे तक कोटेशन आमन्त्रित जाते हैं। प्राप्त कोटेशनों को दिनांक 29.07.2022 को सायंकाल 5:00 बजे गठित कमेटी द्वारा जाकर दरे अनुमोदित की जावेगी। कोटेशन की शर्तें निम्नानुसार है:-

डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के अनुरूप होगी तथा क्षेत्राधिकार में पाये जाने वाले प्रत्येक खनिज (क्वार्टज, फ़ैल्सपार, मार्बल, ग्रेनाईट, मेसेनरी स्टोन, बजरी इत्यादि) की पृथक पृथक डी.एस.आर. बनाये जाना प्रस्तावित/अपेक्षित है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट व खनिज बजरी हेतु पुर्नभरण रिपोर्ट (Replenishment Study) तैयार की जावेगी। निरूक्त दर पर फर्म को भुगतान निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर से बजट त होने पर किया जावेगा।

निरूक्त फर्म/कन्सलटेन्ट को डी.एस.आर. का भुगतान ऑनलाईन किया जावेगा। भुगतान फर्म/कन्सलटेन्ट को बैंक का पूर्ण एवं सही ब्योरा देना होगा।

निरूक्त फर्म/कन्सलटेन्ट द्वारा 2 माह की अवधि में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार करा जिला इंटर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है तथा जिला इंटर से सत्यापन करा SEAC/SEIAA राजस्थान को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाना आवश्यक है तथा अनुमोदित डी.एस.आर. कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

निरूक्त फर्म/कन्सलटेन्ट की कोई भी शर्त उपरोक्त के अलावा मान्य नहीं होगी।

डी.एस.आर. के अनुमोदन तक जो भी कमियां/सुझाव प्राप्त होंगे उन्हें दुरस्त करना भी आवश्यक होगा।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह)

खनिज विभाग अजमेर।
खान एवं भू. विज्ञान विभाग
अजमेर